कुलवंत सिंह @ कुलबंश सिंह

बनाम

बिहार राज्य

21 जून, 2007

[डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, जे. जे.]

भारतीय दण्ड संहिता, 1860:

धारा 302 सपठित धारा 109 - हत्या - आरोप कि आरोपी अपीलार्थी द्वारा उकसाने पर, सहअभियुक्त ने मृतक पर गोलियां चलाईं - अपीलार्थी को धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत दोषी ठहराया गया - जिसकी तथ्यों पर उपयुक्तता - अभिनिर्धारित, उचित - चश्मदीद गवाहों की साक्ष्य ठोस - उनके पास वास्तविक अपराधी को बचाने और अपीलार्थियों को गलत तरीके से फसाने का कोई कारण नहीं - धारा 109 स्पष्ट रूप से लागू।

धारा 109 - की प्रयोजता - चर्चा की गई।

धारा 109 तथा 114 - के बीच का अंतर - रेखांकित।

मृतक के रिश्तेदारों की - साक्ष्य - विवेचना - विनिश्चय: विधि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि रिश्तेदारों को असत्य गवाह माना जाना चाहिए।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त - अपीलार्थी एवं एक सहअभियुक्त 'ए' के प्रोत्साहन पर अन्य सहअभियुक्त 'यू' अपने घर से एक बैरल बंदूक लेकर आया तथा मृतक की छाती पर गोलियां चलाईं जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यू हो गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 109 के तहत उपरोक्त हत्या के लिए उकसाने बाबत् दोषसिद्ध किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया।

इस न्यायालय के समक्ष अपील में, अपीलार्थी की दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई कि हस्तगत प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी मृतक के रिश्तेदार थे। तथा उनकी साक्ष्य के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

उक्त अपील खारिज करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित :

1.1. पी.डब्ल्यू. 2 तथा 3 आरोपी और मृतक दोनों के पड़ोसी हैं। इस आरोप की पुष्टि के कोई आधार पेश नहीं किए गए कि रिश्तेदारों के पास अभियोजन के पक्ष में गवाही देने का कोई विशेष कारण था। चूंकि पी.डब्ल्यू. 2 तथा 3 आरोपी तथा मृतक के पडोसी हैं, उनका अभियोजन

का पक्ष लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष के संस्करण की सत्यता को खारिज करने का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। पी.डब्ल्यू. 2 और 3 के साक्ष्य ठोस थे एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उनकी साक्ष्य पर सही भरोसा किया गया। [पैरा 8] [1182-बी, सी]

1.2 विधि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि रिश्तेदारों को असत्य गवाह माना जाना चाहिए। इसके विपरीत जब भी पक्षपाती होने की यह दलील दी जाती है कि साक्षियों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने तथा अभियुक्त को गलत तरीके से फसाने का कारण था, तो उसके आधार दिखाने होंगे। इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। [पैरा 9] [1182-सी, डी]

2.1. जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध के अपराधी की ठीक उसी वक्त सहायता करता है तथा उसे दुष्प्रेरित करता जब अपराध कारित किया गया हो, तो वह द्वितीय श्रेणी का प्रधानकर्ता होता है और उस पर धारा 109 लागू होती है। किन्तु किसी अपराध को गठित होने से रोकने में विफलता मात्र अपने आप में उक्त अपराध का दुष्प्रेरण नहीं होता है। धारा 109 की परिभाषा को यदि दृढ़ता से देखा जावे, तो उकसाने का संदर्भ उस कार्य के लिए होना चाहिए जो किया गया था न कि उस कार्य के लिए जो उस व्यक्ति द्वारा किये जाने की संभावना थी जिसे उकसाया गया हो। इस शर्त के पूरे होने की स्थिति में ही किसी व्यक्ति को उकसाकर दुष्प्रेरण

करने का दोषी ठहराया जा सकता है। दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति के अपराध के घटित होने के समय उपस्थित नहीं होने की स्थिति में भी धारा 109 लागू होती है, बशर्ते उसके द्वारा अपराध करने के लिए उकसाया गया था या वह एक या अधिक व्यक्ति के साथ अपराध कारित करने की साजिश में शामिल रहा हो तथा उक्त साजिश के फलस्वरूप कोई कार्य या अवैध चूक होती है या जानबूझकर किसी कार्य या अवैध चूक से अपराध कारित करने के लिए प्रेरित किया गया हो। प्रत्यक्ष भागीदारी के अभाव में, दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। [पैरा 11 ।। 1183-सी, डी, ई जे]

2.2. धारा 109 में यह प्रावधान है कि यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दुष्प्रेरित किया गया कृत्य किया गया है एवं उक्त दुष्प्रेरण की सजा के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो अपराधी को मूल अपराध की सजा से दण्डित किया जावेगा। धारा 109 वहां भी लागू होती है जहां दुष्प्रेरक मौजूद भी न हो। अपराध कारित किये जाने के समय किया गया सक्रिय दुष्प्रेरण धारा 109 के अंतर्गत आता है। [पैरा 12 ।। 1183-एफ]

2.3. धारा 109 के अंतर्गत कृत्य के दुष्प्रेरण से अभिप्राय है कि विशिष्ट अपराध का दुष्प्रेरण किया जाना किसी अपराध को कारित करने के लिए की गई तैयारी मात्र में सहायता करना जबकि वह अपराध अंतत: कारित ही न किया गया हो। धारा 109 के अंतर्गत दुष्प्रेरण नहीं है। " धारा

109 के अंतर्गत कोई अपराध से अभिप्राय भारतीय दण्ड संहिता या किसी विशिष्ट अथवा स्थानीय कानून के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से है। इस प्रकार विशिष्ट या स्थानीय कानून के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण धारा 109 के तहत दंडनीय है। दुष्प्रेरण का अपराध कारित करने के लिए दुष्प्रेरक की जान बूझकर सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

3.1 धारा 109 और धारा 114 के मध्य अंतर है। धारा 114 वहां लागू होती है जहां कोई अपराधी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अपराध का पहले दुष्प्रेरण करता है, तथा बाद में उक्त अपराध के कारित होने के समय वहां उपस्थित रहता है। अपराध के कारित होने के समय किया गया प्रत्यक्ष दुष्प्रेरण धारा 109 के तहत आता है तथा धारा 114 स्पष्ट रूप से उक्त दुष्प्रेरण पर लागू होती है जो अपराध के वास्तविक रूप से कारित होने से पहले किया गया हो यानि कि जो दुष्प्रेरण उक्त अपराध को कारित करने के लिए प्रथम कदम उठाए जाने से पूर्व किया गया हो।

3.2 धारा 114 हर उक्त मामले में लागू नहीं होता है जहां दुष्प्रेरक दुष्प्रेरित किए गए अपराध के कारित होने के समय उपस्थित हो। जहां 109 आमतौर पर दुष्प्रेरण से संबंधित एक धारा है, धारा 114 केवल उन मामलों पर लागू होती है जहां न केवल दुष्प्रेरक अपराध के कारित होने के समय उपस्थित होता है बल्कि उसकी उपस्थिति से पूर्व तथा स्वतंत्र रूप से दुष्प्रेरण किया गया हो।

4. जब उपरोक्त विवेचित विधिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक परिदृश्य का परीक्षण किया जाता है तो, यह स्पष्ट है कि धारा 109 भारतीय दण्ड संहिता स्पष्ट रूप से लागू होती है।

आपराधिक अपील न्याय निर्णयन : आपराधिक अपील नंबर 834/2007

उच्च न्यायालय पटना के आपराधिक अपील नंबर 228/1999 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 25.07.2003 से

बिनय के. दास तथा अनिल कुमार श्रीवास्तव (ए.सी.) अपीलार्थी की ओर से

अनुकूल राज तथा गोपाल सिंह विपक्षी की ओर से

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा पारित किया गया

डॉ. अरिजीत पासायात, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में पटना उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है अपीलार्थी तथा दो सहअभियुक्तों द्वारा दायर अपीलों को एक साझे निर्णय द्वारा खारिज किया गया।

3. अभियुक्त उमाशंकर पर मंजी सिंह (एतदोपरांत 'मृतक' के रूप में संदर्भित) की हत्या करने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई.पी.सी.') की धारा 302 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप लगाया गया। अभियुक्त अपीलार्थी कुलवंत सिंह तथा अवध सिंह को उमाशंकर द्वारा मृतक की उपरोक्त हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने बाबत् धारा 302 सपठित धारा 109 के तहत आरोपित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण कुलवंत तथा अवध के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित पाए गए तथा तद्नुसार प्रत्येक को धारा 302 सपठित धारा 109 आई.पी.सी. के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास से दंडित किया गया।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों का मुख्य रूख वीभत्स अपराध के लिए किसी मकसद का नहीं होना था। प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में 'एफ.आई.आर'.) जैसा कि दावा किया गया उस तरीके से दायर की जाना साबित नहीं पाई गई। उच्च न्यायालय ने साक्ष्य को ठोस तथा विश्वसनीय पाया एवं किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पाना अभिनिर्धारित किया।

5. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :

मंजी सिंह (एतदोपरांत 'मृतक' के रूप में संदर्भित) जो कि एक गैर-सम्बद्ध संस्कृत विद्यालय में अध्यापक था, को संस्था से निष्कासित कर

दिया गया अभियुक्त - अपीलार्थी तथा दो सहअभियुक्तगण एवं मृतक अगनेट थे तथा मेस एवं व्यापार में एक दूसरे से अलग थे एवं एक दूसरे के आसपास के घरों में रहते थे। जैसा कि आम तौर पर होता है, दो परिवारों की महिलाओं के मध्य मामूली विवाद हुआ था तथा उक्त घटना के उपरांत यह आरोप लगाया गया कि जब मृतक उसके घर के पास मवेशियों को खाना खिला रहा था, तो आरोपी उमाशंकर सिंह उसे गालियां देने लगा, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त अपीलार्थी कुलवंत सिंह तथा अभियुक्त अवध सिंह बाहर आए और उमाशंकर को गोली मारने के लिए उकसाया उमाशंकर के संबंध में यह आरोप लगाया गया कि उसके तुरंत उपरांत वह अपने घर से एक बैरल बंदूक लेकर आया और मृतक की छाती में गोलियां चला दीं जो कि जमीन पर गिर गया। यद्यपि मृतक के परिवार के द्वारा उसके आरा सरदार अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व, जहां उसे परिवार जन द्वारा ले जाया गया था, उसे जीवित रखने के लिए सभी प्रयास किए गए, उसे मृत घोषित कर दिया गया और इन आरोपों के साथ करीम सिंह के फर्द बयान श्री एस.एन. तिवारी आरा टाउन पुलिस थाना के ए.एस.आई. द्वारा दर्ज किया गया, जिसके उपरांत पुलिस स्टेशन में औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गई। अनुसंधान किया गया। आरोप विरचित किए गए एवं अभियुक्त को विचारण भुगतना पड़ा।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया गया जिसे उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया।

6. अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिये कि मृतक के रिश्तेदारों ने जो कि तथाकथित प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई एवं रिश्तेदारों की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। पी.डब्ल्यू. 1 मृतक की पत्नी थी। पी.डब्ल्यू. 2 तथा पी.डब्ल्यू. 3 जो कि प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करते हैं, मृतक के रिश्तेदार थे।

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मृतक के रिश्तेदार होने के आधार मात्र पर प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य को खारिज नहीं किया जाना चाहिए एवं विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत विश्लेषण के उपरांत अभियोजन संस्करण को ठोस पाया गया है।

8. यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि पी.डब्ल्यू. 2 तथा 3 अभियुक्त तथा मृतक दोनों के पड़ोसी हैं। इस आरोप की पुष्टि के कोई आधार पेश नहीं किए गए कि रिश्तेदारों के पास अभियोजन के पक्ष में गवाही देने का कोई विशेष कारण था। चूंकि पी.डब्ल्यू. 2 तथा 3 आरोपी तथा मृतक के पडोसी हैं, उनका अभियोजन का पक्ष लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष के संस्करण की सत्यता को खारिज करने

का कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। पी.डब्ल्यू. 2 और 3 के साक्ष्य ठोस थे एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उनकी साक्ष्य पर सही भरोसा किया गया।

9. विधि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि रिश्तेदारों को असत्य गवाह माना जाना चाहिए। इसके विपरीत जब भी पक्षपाती होने की यह दलील दी जाती है कि साक्षियों के पास वास्तविक अपराधी को बचाने तथा अभियुक्त को गलत तरीके से फसाने का कारण था, तो उसके आधार दिखाने होंगे। इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

10. आई.पी.सी. की धारा 109 इस प्रकार है कि

> "109 - दुष्प्रेरण का दण्ड, यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणामस्वरूप किया जाए, और जहां कि उसके दण्ड के लिए कोई अधिवक्ता उपबंध नहीं है जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाता है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दण्ड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दण्ड से दण्डित किया जाएगा, जो उस अपराध के लिए उपबंधित है।
>
> स्पष्टीकरण -- कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया तब कहा जाता है, जब वह उस उकसाहट के परिणामस्वरूप या उस षडयंत्र के अनुसरण में

या उस सहायता से किया जाता है, जिससे दुष्प्रेरण गठित होता है।

दृष्टांत

(क) ख को, जो एक लोकसेवक, है ख के पदीय कृत्यों के प्रयोग में क पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में क रिश्वत की प्रस्थापना करता है। ख वह रिश्वत प्रतिगृहीत कर लेता है। क ने धारा 161 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण किया है।

(ख) ख को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए क उकसाता है। ख उस उकसाहट के परिणामस्वरूप, वह अपराध करता है। क उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है, और उसी दण्ड से दण्डनीय है जिससे छ है।

(ग) य को विष देने का षडयंत्र क और ख रचते हैं। क उस षडयंत्र के अनुसरण में विष उपास करता है और उसे ख को इसलिए परिदत्त करता है कि वह उसे य को दे। ख उस षडयंत्र के अनुसरण में वह विष क की अनुपस्थिति में य को देता है और उसके द्वारा यह की मृत्युकारित कर देता है। यहां ख, हत्या का दोषी है। क षडयंत्र द्वारा उस अपराध

के दुष्प्रेरण का दोषी है, और वह हत्या के लिए दण्ड से दण्डनीय है।"

11. जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध के अपराधी की ठीक उसी वक्त सहायता करता है तथा उसे दुष्प्रेरित करता जब अपराध कारित किया गया हो, तो वह द्वितीय श्रेणी का प्रधानकर्ता होता है और उस पर धारा 109 लागू होती है। किन्तु किसी अपराध को गठित होने से रोकने में विफलता मात्र अपने आप में उक्त अपराध का दुष्प्रेरण नहीं होता है। धारा 109 की परिभाषा को यदि दृढ़ता से देखा जावे, तो उकसाने का संदर्भ उस कार्य के लिए होना चाहिए जो किया गया था न कि उस कार्य के लिए जो उस व्यक्ति द्वारा किये जाने की संभावना थी जिसे उकसाया गया हो। इस शर्त के पूरे होने की स्थिति में ही किसी व्यक्ति को उकसाकर दुष्प्रेरण करने का दोषी ठहराया जा सकता है। दुष्प्रेरण करने वाले व्यक्ति के अपराध के घटित होने के समय उपस्थित नहीं होने की स्थिति में भी धारा 109 लागू होती है, बशर्ते उसके द्वारा अपराध करने के लिए उकसाया गया था या वह एक या अधिक व्यक्ति के साथ अपराध कारित करने की साजिश में शामिल रहा हो तथा उक्त साजिश के फलस्वरूप कोई कार्य या अवैध चूक होती है या जानबूझकर किसी कार्य या अवैध चूक से अपराध कारित करने के लिए प्रेरित किया गया हो। प्रत्यक्ष भागीदारी के अभाव में, दुष्प्रेरण के लिए दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

12. धारा 109 में यह प्रावधान है कि यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप दुष्प्रेरित किया गया कृत्य किया गया है एवं उक्त दुष्प्रेरण की सजा के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो अपराधी को मूल अपराध की सजा से दण्डित किया जावेगा। धारा 109 वहां भी लागू होती है जहां दुष्प्रेरक मौजूद भी न हो। अपराध कारित किये जाने के समय किया गया सक्रिय दुष्प्रेरण धारा 109 के अंतर्गत आता है।

धारा 109 के अंतर्गत कृत्य के दुष्प्रेरण से अभिप्राय है कि विशिष्ट अपराध का दुष्प्रेरण किया जाना किसी अपराध को कारित करने के लिए की गई तैयारी मात्र में सहायता करना जबकि वह अपराध अंतत: कारित ही न किया गया हो। धारा 109 के अंतर्गत दुष्प्रेरण नहीं है। धारा 109 के अंतर्गत कोई अपराध से अभिप्राय भारतीय दण्ड संहिता या किसी विशिष्ट अथवा स्थानीय कानून के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से है। इस प्रकार विशिष्ट या स्थानीय कानून के अंतर्गत किसी अपराध का दुष्प्रेरण धारा 109 के तहत दंडनीय है। दुष्प्रेरण का अपराध कारित करने के लिए दुष्प्रेरक की जान बूझकर सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

13. धारा 109 और धारा 114 के मध्य अंतर है। धारा 114 वहां लागू होती है जहां कोई अपराधी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अपराध का पहले दुष्प्रेरण करता है, तथा बाद में उक्त अपराध के कारित होने के समय वहां उपस्थित रहता है। अपराध के कारित होने के समय

किया गया प्रत्यक्ष दुष्प्रेरण धारा 109 के तहत आता है तथा धारा 114 स्पष्ट रूप से उक्त दुष्प्रेरण पर लागू होती है जो अपराध के वास्तविक रूप से कारित होने से पहले किया गया हो यानि कि जो दुष्प्रेरण उक्त अपराध को कारित करने के लिए प्रथम कदम उठाए जाने से पूर्व किया गया हो।

धारा 114 हर उक्त मामले में लागू नहीं होता है जहां दुष्प्रेरक दुष्प्रेरित किए गए अपराध के कारित होने के समय उपस्थित हो। जहां 109 आमतौर पर दुष्प्रेरण से संबंधित एक धारा है, धारा 114 केवल उन मामलों पर लागू होती है जहां न केवल दुष्प्रेरक अपराध के कारित होने के समय उपस्थित होता है बल्कि उसकी उपस्थिति से पूर्व तथा स्वतंत्र रूप से दुष्प्रेरण किया गया हो।

14. जब उपरोक्त विवेचित विधिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक परिदृश्य का परीक्षण किया जाता है तो, यह स्पष्ट है कि धारा 109 भारतीय दण्ड संहिता स्पष्ट रूप से लागू होती है।

15. अपील बिना योग्यता की होकर खारिज किए जाने योग्य है जिसे हम निर्देशित करते हैं।

अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी सरफराज नवाज, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।